†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे पारित होने दी जये। यदि जरूरत पड़ेगी, तो अध्यक्ष अपने स्वयंविवेक से कुछ समय बढ़ा देंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मत्रणा समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो १३ मार्च, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक बड़ा सरल और सक्षिप्त सा विधेयक है और शायद इस पर किसी को कोई **आपत्ति** नहीं होगी ।

परन्तु सक्षिप्त और सरल होते हुए भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे पेश करते हुए, मेरे सामने साढ़े चार सौ वर्ष का और बिल्कुल ही ठीक कहा जाये तो चार सौ इक्यावन वर्ष का, इतिहास सजीव हो उठा है। और मेरा ख्याल है कि सभी सदस्यों के सामने सजीव हो उठा हो गा—१४९८ से आज तक का इतिहास—भारत में वास्को डे गामा के चरण पड़ने से आज तक का इतिहास। इन साढ़े चार सौ वर्षों के इतिहास ने गोआ में बड़ी दुर्दमनी धर्मान्धता देखी है। इस बीच गोआ में पुर्तगालियों के विरुद्ध बार बार विद्रोह हुए हैं, और उन को हर बार क्रूरता और रक्तपात के बल पर दबाया गया है। पुर्तगाली शासन एक ऐसे काल में स्थापित हुआ जब मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन आरम्भ हो गया था और भारत में ऐसी कोई एक केन्द्रीय शक्ति नहीं रह गई थी जो विदेशी घुसपैठ को रोकती। उसके बाद अग्रेज ने आ कर भारत के एक काफी बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, इतिहास में काफी उलटफेर होती रही। पुर्तगाली भारत में बने रहे, अपनी शक्ति के बल पर नहीं, ब्रिटिश शासकों की कृपा पर। ब्रिटिश शासक चाहते थे कि उनको रहने दिया जाये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बहुत पहले जब हम ने अपना स्वातंत्र्य-आन्दोलन आरम्भ किया था, तब हमारी स्वतन्त्रता का अर्थ पूरे देश की स्वतन्त्रता थी, जिसमें भारत की फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों की स्वतन्त्रता भी शामिल थी। लेकिन चूंकि ये बस्तियां बड़ी छोटी-छोटी थीं, इसलिये हमारा स्वांतत्र्य आन्दोलन मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ही था। हम ने यह तो नितान्त सुनिश्चित मान लिया था ब्रिटिश शासन का तख्ता उलटने के बाद, ये छोटी छोटी बस्तियां बिना किसी कठिनाई के स्वतन्त्र कर ली जायेंगी। हम ने यह नहीं सोचा था कि इस में भी कोई कठिनाई पड़ेगी।

फ्रांस की सरकार के साथ हमने कई बार फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में वार्ता चलाई और उस का निबटारा करने में कई वर्ष लग गये। हम ने अपने संविधान के आधार पर और वैधानिक मामलों के आधार पर उनसे वार्ता की थी। अन्त में फ्रांस सरकार राजी हो गई और फ्रांसीसी बस्तियों का शासन संघ सरकार को सौंप दिया गया था।

---

†मूल अग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फ्रांस की सरकार के साथ हमारी वार्तायें दो सरकारों के बीच हुई वार्तायें थीं। कुछ बातें हम ने मानी और कुछ हम ने नहीं भी मानीं। फिर दोनों सरकार में चर्चा हुई। इसी प्रकार वार्तायें हुईं और समझौता हो गया। पुर्तगाल सरकार के साथ भी हमारी यही कोशिश रही, पर उन्होंने बात करने से इन्कार कर दिया हमने उनसे बात चलाने के लिये लिसबन में एक विशेष मंत्री भी नियुक्त किया और उस के बाद भी कई बार कोशिशें की। परन्तु हमें कामयाबी नहीं मिली अन्त मे हमें अपना मंत्री वापस बुला लेना पड़ा।

गोआ के सम्बन्ध में बात आगे नहीं बढ़ रही थी, इससे भारतीय जनता में निराशा और पस्ती आ चली थी। इसी बीच गोआ में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। वैसे तो पहले भी गोआ में कई विद्रोह हो चुके थे, पर इस बार विद्रोह नहीं हुआ। कारण यह कि परिस्थितियां बदल गई थीं। भारत और गोआ की जनता अहिंसक और शान्तिपूर्ण तरीक से स्वतन्त्र कराने की बात सोच रही थी, इसलिये कि भारत ने अपनी स्वतन्त्रता अहिंसा और शान्ति के आन्दोलन द्वारा ही प्राप्त की थी। परन्तु पुर्तगाली शासक ने गोआ के अहिंसापूर्ण आन्दोलन को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया था। उसमें कई व्यक्ति काम आये थे। और यहां भारतीय जनता की यही भावना थी कि गोआ को स्वतन्त्रता के बिना हमारी स्वतन्त्रता अपूर्ण रहेगी।

इसी काल में, पुर्तगाल-सरकार ने गोआ को पुर्तगाल का एक समुद्र-पार प्रान्त घोषित कर दिया था। घोषणा बड़ी अजीब सी थी। हम उसे स्वीकार नहीं कर सके, और देखा जाये तो कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ देश ने उसे मजूर कर लिया था। परन्तु अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले वर्ष घोषित कर दिया था कि गोआ एक उपनिवेश ही है उपनिवेश था भी।

उस के बाद ही यह सारी घटनायें हुईं। मेरा मतलब केवल गोआ की घटनाओं से नहीं, अन्गोला जैसी अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों में होने वाली घटनाओं से भी है। यह सही है कि अन्गोला का भारत से कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी अन्गोला की घटनाओं पर भारत में बड़ी उत्तेजना फैल गई थी, और अभी भी है। भारतीय जनता सब से पहले तो हर प्रकार के उपनिवेशवाद के विरुद्ध है, फिर जिस क्रूरता से पुर्तगालियों ने उन का दमन किया था, उस से भी जनता काफी उत्तेजित हो गई थी।

इन बातों का गोआ से सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं इन बातों को इसलिये पेश कर रहा हूं कि हमारे दिमाग पर इस का बड़ा असर पड़ा है।

मैंने लगभग सात महीने पहले यहां सभा में घोषित किया था कि ऐसा नहीं कि हम दूसरे उपायों का प्रयोग कर ही नहीं सकते, इस से ज्यादा सख्त कार्यवाही और यहां तक कि गोआ में सैनिक उपायों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने इस प्रकार पुर्तगाल-सरकार को, और अन्य देशों को भी चेतावनी दे दी थी। फिर भी, हमें आशा थी कि अन्त में शान्तिपूर्ण उपायों से ही मसला हल हो जायेगा।

इस का एक और पहलू है, एक अफ़सोसनाक पहलू है, उसी के कारण पुर्तगालियों को गोआ में जमे रहने के लिये और हमारे साथ बात तक न करने के लिये प्रोत्साहन मिला था। वह पहलू था कि कुछ देश सक्रिय रूप से या कहिये निष्क्रिय रह कर गोआ में पुर्तगाल की स्थिति का अनुमोदन कर रहे थे। मेरा अपना ख्याल है कि यदि पुर्तगाल को उन देशों का बल न होता तो यह मामला बहुत पहले ही शान्तिपूर्ण ढंग से तय हो गया होता।

यह सब चल ही रहा था, लेकिन गोआ में और गोआ से बाहर होने वाली कुछ घटनाओं ने हमें एकाएक मजबूर कर दिया। हम ऐसी कार्यवाही के लिये वैसे तैयार तो थे, लेकिन इतनी जल्दी

कोई क़दम उठाने की नहीं सोच रहे थे। पर उन घटनाओं ने हमें मजबूर कर दिया। आपको याद होगा कि भारतीय पोतों पर कुछ गोलीबारी की गई थी। हमारे पोत भारतीय क्षेत्र में ही थे, और सामान्य रूप से अपना काम कर रहे थे। वैसी घटनाओं को रोकने के लिये हमें कुछ करना ही पड़ा। हमने इसीलिये वहां अपनी सेनायें भेजी थीं। पर गोआ में हमारी सेना को कोई सैनिक कार्यवाही तो करनी नहीं पड़ी। चन्द घण्टों में, २४ या ३६ घण्टों में सब कुछ हो गया। यदि हमारी सेना का वास्तव में कोई विरोध होता, तो इतनी तेजी से काम पूरा नहीं हो सकता था। बल्कि गोआ की जनता ने तो हमारी सेना का स्वागत किया।

गोआ पर अधिकार होने के बाद, हमने अपने वैधानिक सलाहकारों से परामर्श कर लिया है। उनकी यही सलाह है कि इसके लिये हमें संविधान में इतना ही परिवर्तन करना पड़ेगा कि संविधान के अनुच्छेद १ के अन्तर्गत गोआ को भारतीय संघ में शामिल कर लें और अनुसूची १ में घोषित कर दें कि गोआ भारतीय संघ का ही एक अंग है। गोआ को संघ क्षेत्र बनाने का निर्णय किया गया है। इसलिये कि संघ-क्षेत्र बनाकर गोआ की अर्थ-व्यवस्था और उसके स्वशासन की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। उससे गोआ की स्वायत्तता में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

हाल में एक प्रस्ताव आया था कि गोआ को अन्य राज्यों की तरह एक अलग राज्य बनाया जाये। हम उससे सहमत नहीं हुए। दूसरे अन्य कारणों के साथ, एक कारण यह भी है कि अभी इस समय गोआ में परिस्थितियां पूरी तौर पर सामान्य नहीं हैं। अभी वहां राज्य-क्षेत्र बनाना पड़ेगा। इस समय तो वहां सैनिक गवर्नरशिप है, जो नागरिक विधियों को लागू कर रही है। इसके कुछ दिन बाद, मैं एक दूसरा विधेयक सभा के सामने रखने की सोच रहा हूं, जिसके द्वारा हम गोआ की वर्तमान वैधानिक-प्रणाली को स्वीकार कर लेंगे और उसमें बहुत थोड़े ही कुछ आवश्यक परिवर्तन करेंगे। संविधान को बदलने का यही सबसे सरल तरीका मालूम पड़ता है। इसी तरह गोआ की इस बदली हुई स्थिति में स्थायित्व लाया जा सकेगा।

यह विधेयक बिल्कुल सीधा सा हैं। इसमें केवल इतना कहा गया है कि अनुसूची १ में गोआ, दियु और दमन को सम्मिलित किया जाये।

इससे हमें सोचने के लिये काफी समय मिल जायेगा। हम सोच सकेंगे कि गोआ को स्वायत्तता देने के लिये कौन से कदम उठाये जाने चाहिये। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम गोआ का व्यक्तित्व, उसकी विशेषतायें बनाये रखना चाहते हैं। इसलिये कि पिछले ४०० साल से गोआ का एक अपना विशिष्ट व्यक्तित्व, उसका एक अलग स्वरूप बना रहा है। हम उसे एकाएक बदलना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने यह भी सुझाया है कि कोंकणी भाषा को भी भारत की एक सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाये।

हम गोआ में कोंकणी भाषा को समुचित स्थान देना चाहते हैं। हम न उसका दमन करना चाहते हैं और न उपेक्षा। गोआ की मुख्य भाषा कोंकणी ही है। वहां कुछ मुट्ठीभर लोग ही पुर्तगाली भाषा जानते हैं। कुछ थोड़े से लोग मराठी और बहुत थोड़े से लोग कन्नड़ जानते हैं। मुख्य भाषा कोंकणी ही है और हम उसे मान्यता देंगे।

एक मोटे तौर पर हम यही सिद्धान्त उन तीनों पर लागू करेंगे, हालांकि दमन और दियु की स्थिति गोआ से थोड़ी भिन्न है। तीनों संघ क्षेत्र रहेंगे और उनको काफी स्वायत्तता रहेगी। उनकी भाषा, रीति-रिवाजों और विशेषताओं को सुरक्षित रखा जायेगा।

इसीलिये मैं यह विधेयक सभा के सामने रख रहा हूं। यह विधेयक गोआ और भारत के लिये एक नये युग का सूत्रपात कर रहा है। इसलिये यह विधेयक कुछ मायनों में एक ऐतिहासिक विधेयक

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

है । इस सभा ने गोआ के प्रश्न पर कई बार बड़े जोरदार वाद-विवाद किये हैं । अब सभी को संतोष होगा कि मामला निवट गया है । अब इतिहास का एक विरोधाभास दूर हो चुका है। अब भारत की स्वतंत्रता पूर्ण हो चुकी है ।

मुझे इसीलिये इस विधेयक को प्रस्तुत करते गर्व महसूस हो रहा हैं । आशा है सभा इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत करेगी ।

मैं प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मुकर्जी भाषण करें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : हम संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक का स्वागत करते हैं । आखिरकार गोआ स्वतंत्र हो ही गया जिसकी बड़ी दिन से हम आशा कर रहे थे । इस प्रकार भारत की भूमि पर आने वाले पहले साम्राज्यवादी पुर्तगाली अब भारत से कूच कर गये हैं । एशिया तथा अफ्रीका एवं अन्य उपनिवेशवादी देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गोआ का यह मामला विना किसी खून खराबी के समाप्त हुआ और इस प्रकार प्रधान मंत्री अपने कार्य में सफल हुए तथा अपने सामने की कठिनाइयों का हल उन्होंने ढूंढ़ निकाला ।

भारत में गोआ के बारे में जो कार्यवाही की है और गोआ के स्वतन्त्र हो जाने से एशिया एवं अफ्रीकी देशों में खुशियां मनाई गई हैं । चीन तथा सोवियत रूस ने भारत की कार्यवाही का समर्थन कि ा है । लेकिन अमरीका तथा ब्रिटेन में हमारी आलोचना की गई है । इन सबके बावजूद हमें अपने काम में सफलता मिल गई ।

किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अमरीका स्थित हमारे भारतीय राजदूतावास ने गोआ कार्यवाही के समर्थन में प्रचार कम किया तथा देर से किया । यहां तक कि वहां स्थित भारतीय राजदूत ने भी अपने पक्ष का समर्थन देर से किया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन प्रधान मंत्री से यह है कि अच्छा होता यदि ये लोग ठीक समय पर गोआ सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में प्रचार करते इससे यह लाभ होता कि जो लोग हमारी स्थिति से लाभ उठाकर हम पर हावी होना चाहते हैं । हावी नहीं होते । फिर भी बम्बई से प्रकाशित होने वाले "इकनोमिक वीकली" के "दी इण्डियन एम्बेसी गेट्स कोल्ड फीट" नामक लेख की ओर मैं प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अन्ततोगत्वा गोआ स्वतंत्र हो गया है और अब अधिक से अधिक मात्रा में वहां लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना होगी । आगामी विधेयक में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि इन क्षेत्रों अर्थात् गोआ, दमन और ड्यू को केवल केन्द्रीय शासित क्षेत्र घोषित कर देना ही काफी नहीं है । हम चाहते है कि वहां लोकतन्त्रात्मक राज्य की अधिक से अधिक मात्रा में स्थापना हो । आगामी विधेयक की चर्चा के दौरान में मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने रखूंगा । अन्त: मैं इस विधेयक का सवागत करता हूं और प्रसन्नता प्रकट करता हूं कि आखिर पुर्तगाल वाले भारत से चले गये हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस विधेयक के द्वारा उस कार्य पर संवैधानिक मुहर लगाई जा रही हैं जिसको जनता का समर्थन पहले ही मिल चुका है । हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं । प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जो काम शताब्दियों पूर्व शुरू हुआ था यह उसका अंतिम चरण

†मूल अंग्रेजी में

है । निश्चय ही यह प्रसन्नता की बात है कि गोआ अब स्वतंत्र हो गया है लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह मामला और भी अच्छी तरह से हल किया जा सकता था । ब्रिटेन और अमरीकी में हमारे इस कार्यवाही के विरुद्ध बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिये । यह हमारा विधिवत् अधिकार था कि हम भारत के उस भाग को स्वतन्त्र बनाते जो कि विदेशियों के अधिकार में है । हमें किसी प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता नहीं थी । पुर्तगालियों का भारत में रहना एक प्रकार से उनके द्वारा भारत पर आक्रमण के समान था ।

श्री मुकर्जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि महत्वपूर्ण मामलों में कभी कभी विदेश स्थित हमारे दूतावास उचित कार्य नहीं करते । गोआ पर हमारा विधिवत् अधिकार है इस बारे में हमारे दूतावासों ने कभी उचित प्रचार नहीं किया जब कि भारत स्थित गोआ दूतावास ने हर प्रकार से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि गोआ पर उनका अधिकार सही है और गोआ हर प्रकार से पुर्तगाल का ही अंग है । इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यह कार्यवाही जो की गई है थोड़ी देर से की गई हैं । हां इस आरोप का मैं खंडन अवश्य करता हूं कि गोआ के मामले में प्रधान मंत्री को प्रेसीडेंट कैनेडी ने कोई परामर्श दिया था ।

अंत में सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने कि गोआ की आजादी में महान ढंग से एवं इस प्रकार कार्य किया । उन्होंने, बड़ी शांति, सज्जनता और सौभ्यता से अपने कर्त्तव्य का पालन किया है कि ऐसा मालूम पड़ता है मानो ये कोई सत्याग्रह कर रहे हों । और उनका वह सत्याग्रह सन् १९५५ के सत्याग्रह के साथ साथ जुड़ा हो । इस समय मैं इस विधेयक का स्वागत ही करता हूं । गोआ में असैनिक प्रशासन के बारे में अपने विचार उस समय प्रकट करूंगा जब कि गोआ, दमन और डयू के प्रशासन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री ने फिर उस आश्वासन की पुनरावृत्ति की है कि गोआ निवासियों के व्यक्तित्व एवं उन सम्बन्धी कुछ विशेष बातों को मान्यता मिलेगी एवं उनका सम्मान किया जायेगा । निश्चय ही यह प्रसन्नता का विषय है कि आज ४५० वर्ष बाद गोआ की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता मिली है । मुझे पूर्ण आशा है कि गोआ निवासियों को अच्छे से अच्छे अवहरों का सामना करना होगा और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी । प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अतिरिक्त उन्हें और भी अच्छी मूलभूत गारंटी मिलेंगी । गोआ वासियों को भी अन्य भारतवासियों की तरह अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने यहां अपनी भाषा के लिये स्कूल तथा अन्य संस्थाएं चलाने और उनके प्रबन्ध करने का सुअवसर मिलेगा ।

जहां तक विदेशों में गोआ सम्बन्धी कार्यवाही के बारे मे किये गये प्रचार की बात है उससे हमें घबराना नहीं चाहिये और न हतोत्साहित ही होना चाहिये । क्योंकि इस प्रकार की बातें तो प्रायः हुआ ही करती हैं । जहां तक अमरीका और ब्रिटेन में किये गये प्रचार की बात है यह सब कुछ तो उनके संविधान के अनुकूल है । लेकिन हमें इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिये कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं । अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : गोआ का मामला बहुत दिनों से विलम्बित था अन्ततोगत्वा एक दिन वह आया जब कि गोआ स्वतंत्र हुआ । आज से ५०० वर्ष पूर्व गोआ पर पुर्तगालियों ने अधिकार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम अल्वा]

कियां था । प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वहां कोंकणी वहां की भाषा होगी। साथ ही गोआ को आज इस बात की भी छूटे है कि वह मैसूर, महाराष्ट्र या गुजरात राज्यों मे से किसी भी राज्य में मिल सकता है ।

मैं अमरीका तथा सोवियत रूस को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी कार्यवाही का समर्थन किया है । ब्रिटेन ने ज़रूर हमारे विरुद्ध कार्य किया है लेकिन उससे क्या होता है ।

जहां तक गोआ की आज़ादी की बात है मैं भारतीय सेनाओं को बधाई देता हूं । हमारे प्रधान मंत्री भी बधाई के पात्र हैं । प्रतिरक्षा मंत्री एवं मंत्रालय दोनों ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया । लेकिन साथ ही हमें अपने सैनिकों को उन आक्षेपों से बचाना चाहिये जो कि उनके विरुद्ध किये जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि इन झूठे आक्षेपों से सैनिकों का नैतिक पतन हो जाये ।

गोआ में आजकल ४ हज़ार विधियां हैं जो समाप्त करनी हैं । वहां ६ कपड़े की मिलें खोली जा सकती है । आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां से अधिक व्यक्ति गोआ न जायें और वहां के आर्थिक ढांचे को न बिगाड़े । नारियलों का दाम भी कम किया जाना चाहिये ताकि भारत के लिये उनका निर्यात रोका जा सके ।

प्रसन्नता की बात हैं कि भारत सरकार ने गोआ के आर्थिक ढांचे के बारे में ठीक ही रुख अपनाया है । चोर बाजारी करने वालों को वहां जाने से रोकना चाहिये ताकि वहां वस्तुओं के मूल्य न बढ़ें । कुछ गोआनिवासियों का विचार है कि गोआ को अलग से एक राज्य बनाया जाये । हम आशा करते हैं कि गोआ के निवासी अपने देश में रह कर अपने देश की ही सेवा करेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विदेश स्थित हमारे दूतावासों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में गोआ के बारे में सही स्थिति का प्रचार नहीं किया । हो सकता है कि यह आलोचना कुछ अंशों में सही हो । लेकिन यह बात सच है कि जिन लोगों ने यह आलोचना की है उन्हें सही बातों की जानकारी नहीं है ।

सामान्यतः राजदूत सार्वजनिक रूप से भाषण नहीं देते । अमरीका की बात दूसरी है वहां वे भाषण देते है जब कि अन्य देशों में प्राय : वे ऐसा नहीं करते जिसे कि आप प्रचार करना कह सकते हैं । वे तो राजनयिक सम्बन्ध ही स्थापित किया करते है और कभी कभी ऐसे प्रकाशन प्रकाशित किया करते हैं जिनमें अपने देश के बारे में सही स्थिति का निरूपण हुआ करता हैं ।

जहां तक अमरीका की बात है वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने गोआ के बारे में कुछ अच्छे वक्तव्य दिये हैं गोआ कार्यवाही के बाद अमरीका स्थित भारतीय राजदूत ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था जगह का नाम तो मुझे इस समय याद नहीं है कि उन्होंने यह भाषण कहां दिया था । कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि हमारे राजदूत प्रचार कम करते हैं लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रचार कार्य लोगों की स विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जो कि उन्होंने बना रखी हैं ।

दिल्ली में विदेशी संवाददाता काफ़ी संख्या में हैं अत : वहां के देश इन विदेशी संवाददाताओं की बात पर अधिक विश्वास करते हैं बजाय इसके कि हमारे राजदूतावास क्या कहते

†मूल अंग्रेजी में

हैं क्योंकि ये दूतावास हमारी सरकार द्वारा दी गई जानकारी को ही दुहराते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो विश्व से अलग नहीं है सभी विदेशी राज्यों का किसी न किसी रूप में देहली से सम्बन्ध जुड़ा है। यहां बहुत से विदेशी संवाददाता हैं जो यहां से यहां की स्थिति एवं यहां की घटनाओं के बारे में समाचार भेजा करते हैं।

पश्चिमी देशों में गोआ कार्यवाही को 'शीतयुद्ध' का नाम दिया गया है। इन देशों का पुर्तगाल से गठबंधन है और वे पुर्तगाल के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहते। वस्तुतः उन्होंने कई बार ऐसी बातें ही कही हैं जो पुर्तगाल के पक्ष में ही थीं। अतः उनका मस्तिष्क कुछ ऐसे ढंग का बन गया जिसमें वह हमारी बात नहीं सुन सकते। यह बात हो सकती है कि हम इस बारे में कुछ और भी कर सकते थे लेकिन यह कहना गलत है कि हम ने कुछ नहीं किया। इस १४ साल के दौरान में हम ने बहुत कुछ किया है। यह बात दूसरी है कि यह कार्य लगातार नहीं किया गया।

श्री नाथपाई ने कहा है कि शायद मैंने श्री ख्रुश्चेव, मि० मैकमिलन और प्रेसीडेंट कैनेडी से गोआ के बारे में चर्चा की थी। यह बात ठीक है कि प्रेसीडेंट कैनेडी से मैंने इसका जिकर जरूर किया था लेकिन चर्चा नहीं की थी। यह बात उन तक ही सीमित है कि वे मेरी बात मानें या न मानें।

जब मैं न्यूयार्क गया था तो पहले दिन ही टेलीविजन इंटरव्यू पर मुझ से पूछा गया था कि क्या भारतीय बर्लिन समस्या के बारे में उत्तेजित हैं। इसके उत्तर में नकारात्मक उत्तर देते हुए मैं ने बताया था कि बर्लिन के बारे में तो नहीं किन्तु गोआ के बारे में अवश्य उत्तेजित हैं। हो सकता है कि बर्लिन की समस्या विश्व की शांति या विश्व युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो लेकिन एक सामान्य भारतीय की दृष्टि में गोआ की समस्या इस से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ने यह बात इस दृष्टि से कही थी ताकि अमरीकी इस बात का अनुभव करने लगे कि हम गोआ को बहुत अधिक महत्व देते हैं। प्रेसीडेंट कैनेडी से भी बातचीत के दौरान में मैं ने इस टेलीविजन इंटरव्यू की बात का उल्लेख किया था। ताकि उनको भी यह स्पष्ट हो जाये कि हम गोआ को अधिक महत्व देते है। अब यह बात उन तक सीमित थी कि वह इस के बारे में क्या रुख अपनाते है। उस समय गोआ के बारे में कोई कार्यवाही करने का हमारा कोई विचार नहीं था। गोआ में कार्यवाही करने का निर्णय तो मेरे वहां से लौटने के बाद ही हुआ है। हमारे नागिकों पर जब गोली वर्षा हुई तो यह कार्य तेजी से शुरू किया गया। इन सब बातों ने गोआ की स्थिति पर प्रभाव डाला। हम ने यह सोचा कि यदि हम सामान्य नागिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो क्या लाभ। अतः हम ने उनकी सुरक्षा करने का निर्णय किया। अतः धीरे धीरे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इन नागिकों की सुरक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम गोआ में कोई कार्यवाही नहीं करते। ये सब बातें दिसम्बर में हुईं। अतः मैं जब अमरीका में था तो मुझे ऐसी कोई जानकारी अथवा मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम गोआ में ऐसा कार्य करेंगे।

जब हम ने गोआ में कार्यवाही करने का निर्णय किया तो हमारी सेना परामर्शदाताओं ने सुझाव दिया कि जब तक कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती तब तक संसार में इसका प्रचार नहीं करना चाहिये। हो सकता है कि ऐसा करने से जटिलताएं उत्पन्न हो जायें। इस सब का उद्देश्य शीघ्रता से एवं प्रभावी कार्य करना था। डर इस बात का था कि कहीं यह प्रभावी कार्यवाही न हो सकी तो हम परेशानी में फंस जायेंगे। यह ठीक है कि हम जीत गये। लेकिन हमारी यह जीत दूसरे ही ढंग की है।

रेलगाड़ियों के आने जाने से सभी लोगों ने यह अनुमान लगाया कि कुछ न कुछ होने जा रहा है अमरीका ने भी ऐसा ही सोचा। और उन्होंने इस बारे में हम से पूछा भी। हम ने उत्तर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दिया कि हम ऐसा करने के लिये मजबूर हो गये थे। लेकिन हम ने उन्हें यह नहीं बताया कि हम यह कार्यवाही कब और किस प्रकार करेंगे। अतः यह स्पष्ट था कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं।

हमारा यह मामला कुछ देशों के विदेशी मंत्रालयों के सामने चर्चा के लिये आया। इन में एशिया के कुछ देश भी सम्मिलित थे।

यह ठीक है कि विदेशों में रहने वाले हमारे राजदूत अथवा कोई अन्य पदाधिकारी ऐसी स्थिति में कुछ कहता है अथवा कोई प्रकाशन प्रकाशित करता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। मैं यह बात कोई शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूं। ऐसी बातें अन्य देशों के साथ भी हुआ करती हैं। दूसरे देश वाले यदि हमारी किसी बात में रुचि नहीं रखते तो वे हमारी कोई बात नहीं छापते। विदेशों में भारत जैसी हालत नहीं हैं। यहां प्रचार करना बहुत आसान हैं।

इस सम्बन्ध में भारत की भावनाओं को पश्चिम की जनता के समक्ष रखना बहुत कठिन है। हम अपने पड़ौसी देश की तरह बहुत अधिक चिल्लाना नहीं चाहते हैं। हम इस प्रकार कार्य करना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं। संभव है कि इस प्रकार के तरीके से पश्चिमी देशों पर अधिक प्रभाव होता हो। तथापि हमारी शिक्षा और संस्कृति दूसरे प्रकार की रही है। भले ही हमारे तरीकों का तत्काल प्रभाव न हो तथापि अन्ततः हमारे ही तरीके की विजय होती है।

गोआ हमारे अस्तित्व के बीच एक ग्रन्थि की तरह मौजूद था। आध्यात्मिक, जातीय तथा भाषा सम्बन्धी प्रत्येक दृष्टि से यह एक ग्रन्थि के रूप में था। अतः गोआ में पुर्तगाल का प्रभुत्व देख कर हमें निरंतर दुःख होता था।

इसका दूसरा पहलू यह था कि यह भारत में यूरोपीय सत्ता के चिह्न की तरह मौजूद था। हमारे समस्त इतिहास और राष्ट्रीयता को यह एक चुनौती थी। हम इसे सहन नहीं कर सके। यह केवल क्षेत्रीय मामला नहीं था। हमारी स्वतंत्रता की भावना को इस पर आपत्ति थी। हम ने यह अनुभव किया कि गोआ को स्वतंत्र किये बिना हमारा स्वतंत्रता संग्राम पूरा नहीं हो सकता है।

तथापि विदेशियों ने इसे इस रूप में न देख कर एक क्षेत्र को हड़प लेने के रूप में देखा। यह सरासर गलत है। इस बात का एक दूसरा पहलू यह भी था कि पुर्तगाल नाटो संधि का सदस्य था। अतः यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता था कि संकट के समय इसका क्या रवैया रहेगा। आपको स्मरण होगा कि सभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि गोआ को नाटो गुट के राष्ट्र किस प्रकार सहायता देंगे। कुछ वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से यह बात कही गयी कि यह गोआ के मामले मे लागू नहीं होगा कुछ वक्तव्यों में यह बात स्पष्ट रूप से यह बात नहीं कही गयी।

आध्यात्मिक और भावात्मक पहलू के अलावा, महायुद्ध छिड़ जाने की दशा में उन में से एक पक्ष का अड्डा भारत में रहने के बहुत भयंकर परिणाम हो सकते थे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि युद्ध छिड़ जाने की दशा में सब से पहिला काम जो हमें करना पड़ता, वह था पुर्तगालियों को यहां से निकालना, हमें चौबीस घंटे के अंदर ऐसा करना पड़ता। अतः यह स्वाभाविक था कि हम ऐसा युद्ध छिड़ने के बहुत पहिले ही करें। हम नहीं चाहते थे कि युद्ध छिड़े।

अतः इन सब बातों को खुले आम बतलाना संभव नहीं था। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनके अपने विचार हैं। तथापि हमें उनके विचारों को देख कर आश्चर्य होता हैं; क्योंकि वे राष्ट्र बहुत बड़े राष्ट्र हैं और हम उनकी मैत्री के इच्छुक हैं। तथापि इस मामले में उनके विचार नितांत

व्यक्तिगत हैं। उनकी यह उपेक्षा शीत युद्ध के रवैये से मिलती है। क्योंकि तब हम किसी प्रश्न का केवल एक ही पक्ष देख सकते हैं।

सदस्यों ने हमारी सेना की प्रशंसा की है। निसंदेह उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य के दौरान उनका व्यवहार बहुत प्रशंसनीय रहा है। यद्यपि उनके कार्यों के बारे में बाद में कुछ शिकायतें आयी हैं और कुछ शिकायतों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। उनमें से कुछ शिकायतें बिल्कुल गलत थीं। उदाहरणार्थ एक शिकायत आयी कि हमारी सेना के एक कर्मचारी ने कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। हमने इस बात की जांच की और हमें यह पता लगा था कि जिस व्यक्ति ने महिलाओं से छेड़ छाड़ करने का प्रयत्न किया था वह नकली दाड़ी मोंछें लगा कर, सिख बन कर गया था। किन्तु खींचने पर उसकी दाढ़ी मोंछ हाथों में आ गयी। यह भी शिकायत आयी कि एक व्यक्ति ने उनसे पुर्तगाली भाषा में बातचीत की। हमारी सेना में जो लोग वहां भेजे गये थे, पुर्तगाली कोई भी नहीं जानता है। अतः जांच करने पर अधिकतर शिकायतें गलत सिद्ध हुईं। एक दो दुर्व्यवहार के मामले हुए। उन्हें दंड दिया गया तथापि परिस्थितियों को देखते हुए ये मामले नगण्य हैं। मोटे तौर पर हमारी सेना का व्यवहार प्रशंसनीय रहा।

हमें अभी इस संसद में गोआ के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करनी होगी। इसमें अभी कुछ समय लगेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि जो लोग भारत में सब से पहले आये उन्होंने सब से अन्त में भारत छोड़ा। मुझे विश्वास है कि न केवल निकट भविष्य में अपितु सुदूर भविष्य में भी अब कोई भारत में घुसने का साहस नहीं करेगा और जो आयेगा भी उसे इसी प्रकार उखाड़ फेंका जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय सदस्य कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। वे अपने हाथों को 'हां' या 'ना' में से उचित बटन पर ही रखें जिससे कि गलती न होने पावे।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा में मतविभाजन हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में ३१२ और विपक्ष में कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ और ३

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बनें"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में